



बिहार गजट

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 22 9 आषाढ़ 1943 (श०)
पटना, बुधवार, —————
30 जून 2021 (ई०)

विषय-सूची		पृष्ठ
	पृष्ठ	
भाग-1-नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।	2-4	
भाग-1-क-स्वयंसेवक गुल्मों के समादेष्टाओं के आदेश।	---	
भाग-1-ख-मैट्रीकुलेशन, आई०ए०, आई०एससी०, बी०ए०, बी०एससी०, एम०ए०, एम०एससी०, लॉ भाग-1 और 2, एम०बी०बी०एस०, बी०एस०ई०, डीप०-इन-एड०, एम०एस० और मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षा-फल, कार्यक्रम, छात्रवृत्ति प्रदान, आदि।	---	
भाग-1-ग-शिक्षा संबंधी सूचनाएं, परीक्षाफल आदि	---	
भाग-2-बिहार-राज्यपाल और कार्याध्यक्षों द्वारा निकाले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएं और नियम आदि।	---	
भाग-3-भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम, 'भारत गजट' और राज्य गजटों के उद्धरण।	---	
भाग-4-बिहार अधिनियम	---	
भाग-5-बिहार विधान मंडल में पुरःस्थापित विधेयक, उक्त विधान मंडल में उपस्थापित या उपस्थापित किये जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-7-संसद के अधिनियम जिनपर राष्ट्रपति की ज्येष्ठ अनुमति मिल चुकी है।	---	
भाग-8-भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में उपस्थापित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	---	
भाग-9-विज्ञापन	---	
भाग-9-क-वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	---	
भाग-9-ख-निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण सूचनाएं इत्यादि।	5-5	
पुरक	---	
पुरक-क	---	

भाग-1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य व्यक्तिगत सूचनाएं।

ग्रामीण विकास विभाग

अधिसूचनाएं

18 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (द०) सम०-03/2019-468618/ग्रा०वि०—श्री मनोज कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास मोहनपुर, समस्तीपुर के विरुद्ध लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान अंतर्गत दिनांक 01.07.2019 से दिनांक 10.07.2019 तक जिओ-टैगिंग हेतु चलाये जा रहे अभियान में एक भी जिओ-टैगिंग नहीं करने, प्रखंड में 19425 IHHL के विरुद्ध मात्र 8292 (42.69%) जिओ-टैगिंग करने एवं मात्र 3486 (17.95%) लाभार्थियों को प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने के आरोप में क्रमशः प्रशासी पदाधिकारी-सह-राज्य समन्वयक के पत्रांक- BRLPS-LSBA/Proj/125/19/218 दिनांक 03.07.2019 एवं मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी-सह-मिशन निदेशक लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के पत्रांक- BRLPS-LSBA/Admn/16/18/294 दिनांक 12.07.2019 द्वारा कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार से विभागीय ज्ञापांक 431559 दिनांक 05.07.2019 एवं ज्ञापांक 433433 दिनांक 18.07.2019 स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री कुमार के पत्रांक-688 दिनांक 24.07.2019 एवं पत्रांक-475 दिनांक 10.07.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत जियो टैगिंग में घोर शिथिलता बरतने के साथ ही सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल कार्य करने के आरोप की पुष्टि होती है।

सम्यक विचारोपरान्त श्री मनोज कुमार, तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास मोहनपुर, समस्तीपुर द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में बरती गयी उक्त शिथिलता के लिए इन्हें 'असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (द०) दर०-05/2019-466125/ग्रा०वि०—श्री भगवान झा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी, दरभंगा के विरुद्ध मुख्यमंत्री सात निश्चय योजना /प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण) तथा लोहिया स्वच्छता अभियान योजना एवं अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता/शिथिलता के आरोप में जिला पदाधिकारी, दरभंगा के पत्रांक-1500 दिनांक 05.09.2019 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री झा से विभागीय ज्ञापांक 446211 दिनांक 07.11.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री झा के पत्रांक-2136 दिनांक 12.12.2019 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री झा के विरुद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में अनियमितता/शिथिलता बरती गयी है।

सम्यक विचारोपरान्त श्री भगवान झा, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बहेड़ी, दरभंगा द्वारा बरती गयी उक्त अनियमितता/शिथिलता के लिए इन्हें 'असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

16 जून 2021

सं० ग्रा०वि०-14 (सा०) गो०-03/2019-466142/ग्रा०वि०—श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर, गोपालगंज के विरूद्ध स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)-सह-लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों द्वारा निर्मित शौचालयों के योग्य लाभार्थियों के शत-प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं करने, उक्त योजना के क्रियान्वयन में रूचि नहीं लेने, योजनाओं में कार्य प्रगति की उपलब्धि नगण्य होने एवं उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना के आरोप में जिला पदाधिकारी, गोपालगंज के पत्रांक- 636/स्था० दिनांक 09.09.2019 के द्वारा आरोप पत्र प्राप्त है।

उक्त आरोप पत्र में वर्णित आरोपों पर श्री गुप्ता से विभागीय ज्ञापांक 449627 दिनांक 04.12.2019 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी। तत्संबंध में श्री गुप्ता के पत्रांक-1431 दिनांक 30.09.2020 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

विभाग द्वारा श्री गुप्ता के विरूद्ध आरोप एवं स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि श्री गुप्ता के द्वारा यद्यपि लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के अंतर्गत लाभार्थियों को स्वच्छ भुगतान हेतु प्रगति सम्प्राप्त की गयी तथापि महा जाँच अभियान 10 से 14 जून 2019 एवं 23 से 24 जून 2019 तक योग्य लाभार्थियों को शत-प्रतिशत प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है।

सम्यक विचारोपरान्त श्री अरविन्द कुमार गुप्ता, ग्रामीण विकास पदाधिकारी-सह-प्रभारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बैकुण्ठपुर, गोपालगंज द्वारा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान में शिथिलता के कृत्य कृत्य के लिए 'निन्दन' का दंड अधिरोपित किया जाता है।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
बालामुरूगन डी०, सचिव।

श्रम संसाधन विभाग

अधिसूचनाएं

26 फरवरी 2021

सं० 1/प्रशि०स्था० 16/2020 श्र०सं०-219—श्री प्रभात चन्द्र प्रकाश, (उप प्राचार्य), प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बारसोई, कटिहार एवं प्रभारी प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण, मनिहारी, कटिहार को अपने कार्यों के अतिरिक्त प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार एवं प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, कटिहार का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० विनायक पद्माकर, अवर सचिव।

11 जून 2021

सं० 1/श्रम वि०स्था०(1)10-20/2020-18/श्र०सं०—श्रीमती स्नेहा सृजन, श्रम अधीक्षक (बाल श्रम), बिहार राज्य बाल श्रमिक आयोग, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 15.9.20 से 19.9.20 तक कुल 5 (पाँच) दिनों की उपाजित छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है।

2. बिहार सेवा संहिता के नियम 236 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 20.9.20 से 03.10.20 तक कुल 14 (चौदह) दिनों की असाधारण छुट्टी की स्वीकृति दी जाती है।

3. दिनांक 04.10.20 को रविवासीय अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० विनायक पद्माकर, अवर सचिव।

Office of the Commissioner, Magadh Division, Gaya

Order

The 12th June 2021

No. XIX-रा०-01/2019-1747--In the light of proposal received from Collector, Gaya vide letter no. 317, dated- 24-05-2021 the power of certificate officer has been delegated to following officers for disposal of certificate cases us 3(3) of Bihar & Orrisa Public Demand Recovery Act, 1914.

Sl.	Officer Name	Designation	Remarks
1	Sri Binod Kumar Chaudhary	Circle Officer, Khizersarai	For Khizersarai Circle
2	Sri Anand Prakash Ram	Circle Officer, Tikari	For Tikari Circle
3	Sri Vijay Kumar	Circle Officer, Nimchak Bathani	For Nimchak Bathani Circle
4	Srimati Rani Kumari	Circle Officer, Konch	For Konch Circle
5	Sri Sudhir Tiwari	Circle Officer, Sherghati	For Sherghati Circle
6	Sri Sunil Kumar	Circle Officer, Mohra	For Mohra Circle
7	Sri Kamal Narayan Kashyap	Circle Officer, Bodhgaya	For Bodhgaya Circle
8	Sri Prushottam Kumar	Circle Officer, Barachatti	For Barachatti Circle
9	Sri Mithu Prasad	Circle Officer, Atri	For Atri Circle
10	Sri Rajiv Ranjan	Circle Officer, Nagar Anchal	For Nagar Anchal Circle
11	Sri Manoj Kumar Dubey	Circle Officer, Gurua	For Gurua Circle
12	Sri Anuj Kumar	Circle Officer, Manpur	For Manpur Circle

Order of Commissioner, Magadh Division, Gaya dt. 04-06-2021

By Order,

Sd./-Illegible, Secretary to Commissioner.

समाहरणालय पूर्णियां

प्रभार रिपोर्ट

13 अप्रील 2021

सं० 476/स्था०—अधोहस्ताक्षरी में कुमार निशान्त विवेक, परीक्ष्यमान, भा०प्र०से०, (2020 बैच) आज दिनांक—12.04.2021 के पूर्वान्न में जिला प्रशिक्षण हेतु सहायक समाहर्ता एवं सहायक दण्डाधिकारी, पूर्णिया के पद पर स्वतः प्रभार ग्रहण करता हूँ। सामान्य प्रशासन विभाग के अधिसूचना संख्या 4374, दिनांक 01.04.2021 द्रष्टव्य।

(ह०) अस्पष्ट,
भारग्राही पदाधिकारी।

आदेश से,
(ह०) अस्पष्ट,
स्थापना उपसमाहर्ता, पूर्णियां।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 11—571+10—डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>

भाग-9-ख

निविदा सूचनाएं, परिवहन सूचनाएं, न्यायालय सूचनाएं और सर्वसाधारण
सूचनाएं इत्यादि।

सूचना

सं० 577—मैं सत्यजीत प्रकाश, पिता-जग्गु सिंह, ग्राम-काशीपुर चकबीबी, पो०-बिदुपुर (आर.एस) थाना-राजापाकर, अंचल-हाजीपुर, जिला-वैशाली का स्थायी निवास हूँ। मैं सत्यजीत प्रकाश, पिता-जग्गु सिंह के नाम से जाना वो पहचाना जाता हूँ। शपथ-पत्र संख्या-2176, दिनांक 13.04.2021 के माध्यम से घोषणा करता हूँ कि आज से मैं सत्यजीत सिंह, पिता-जग्गु सिंह के नाम से जाना वो पहचाना जाऊँगा।

सत्यजीत प्रकाश।

No. 577—I, Satyajeet Prakash, S/o Jaggu Singh R/o Vill.-Kashipur Chakbibi, P.O.-Bidupur (R.S.), P.S.-Rajapakar, Circle Hajipur, Distt.-Vaishali do hereby solemnly affirm and declare by Affidavit No. 2176, dated 13.04.2021 that I known as Satyajeet Prakash S/o Jaggu Singh but from today I will known and recognised by Satyajeet Singh S/o Jaggu Singh.

Satyajeet Prakash.

सं० 584—मैं जयशान्त S/o मनोज साकिन कोपा कलां पो०-नौबतपुर जिला पटना का निवासी हूँ। शपथ-पत्र संख्या-3747 दिनांक 02.12.2020 द्वारा घोषणा करता हूँ कि मैं जयशान्त उर्फ जयशान्त सिंह आनन्द दोनों नामों से जाना पहचाना जाता हूँ। दोनों नाम मेरा ही है।

जयशान्त।

No. 584—I, Jayshant S/o Manoj R/o Kopa Kalan, P.O. & P.S.-Naubatpur, District- Patna declare vide affidavit No. 3747 dated 02.12.2020 that I will be know as Jayshant and Jayshant Singh Anand for all purpose, Both name are same person.

Jayshant.

No. 586—I, GAUTAM, S/o Hemant Kumar, Dob: 23/09/1993, Mother's Name-Chandni Choudhary, Resident of Village.-Saraswati Nagar-Rewa Road, Bhagwanpur Chowk, Maheshwar Market, Bhagwanpur, Ps-Sadar, District-Muzaffarpur, State-Bihar. My aadhar no. is 233185354224, do hereby solemnly affirm and declare that my name is Gautam and my new name is Gautam Sharma in future I will be known as Gautam Sharma, Affidavit No. 1264/14 by dated 04/06/2021.

Gautam.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट, 11—571+10—डी०टी०पी०।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>